भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 544
दिनांक 06.02.2024/ 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

विचाराधीन कैदी

544. श्री चन्देश्वर प्रसादः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एक वर्ष से अधिक समय से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों का बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार का विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत को कम करने का विचार है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, देश की जेलों में 1 वर्ष से अधिक समय से बंद विचारणाधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) और (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के तहत, 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति', 'राज्य सूची' के विषय हैं। कारागारों और कैदियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। तथापि, गृह मंत्रालय भी इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। विचारणाधीन कैदियों के मुद्दों का समाधान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) भारत सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में धारा 436क जोड़ी गई, जिसमें किसी कानून के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की आधी अवधि की सजा काट लेने पर, किसी विचारणाधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है।

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में "प्ली बार्गेनिंग" (धारा 265क से 265ठ) पर एक नया "अध्याय XXIक" सम्मिलित करके "प्ली बार्गेनिंग" की अवधारणा शुरू की गई, जो प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच विचारण-पूर्व बात-चीत की सुविधा प्रदान करती है।

(iii) ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर, जो "अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली" के साथ समेकित किया गया एक "कारागार प्रबंधन एप्लीकेशन" है, में राज्य जेल प्राधिकारियों को कैदियों के आंकड़े शीघ्र और कारगर तरीके से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है और यह उन कैदियों की पहचान करने में उनकी मदद करता है, जिनके मामलों पर "विचारणाधीन कैदी समीक्षा समिति" (अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी), आदि द्वारा विचार किया जाना है।

(iv) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए 'आदर्श कारागार मैनुअल 2016' में 'कानूनी सहायता' और 'विचारणाधीन कैदी', आदि पर विशेष अध्याय निहित हैं, जिनमें विचारणाधीन कैदियों को उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधाओं अर्थात कानूनी बचाव, वकीलों के साथ साक्षात्कार, सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन करने आदि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। इन विधिक सेवा क्लीनिकों का प्रबंधन पैनल में शामिल विधिक सेवा अधिवक्ताओं और प्रशिक्षित पैरा-लीगल स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। ये क्लीनिक इसलिए स्थापित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कैदियों को उनका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध हों और उन्हें कानूनी सहायता तथा सलाह उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता, प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालतों और कैदियों के जमानत के अधिकार सहित उनके कानूनी अधिकारों, आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जेलों में जागरूकता शिविर आयोजित करता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विचारणाधीन समीक्षा समितियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की थी, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है, ताकि वे उसका बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें और कैदियों को राहत उपलब्ध करा सकें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर जारी की गई विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से विचारणाधीन कैदियों के मुद्दे के समाधान के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

*****

लोक सभा अता.प्र.सं. 544 दिनांक 06.02.2024

अनुलग्नक

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, देश की जेलों में 1 वर्ष से अधिक समय से बंद विचारणाधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
1	आंध्र प्रदेश	280	58	53	1
2	अरुणाचल प्रदेश	14	9	10	4
3	असम	1209	128	137	45
4	बिहार	6393	2818	1481	402
5	छत्तीसगढ़	2196	1137	406	66
6	गोवा	194	71	0	16
7	गुजरात	1885	1032	822	447
8	हरियाणा	3700	1543	786	53
9	हिमाचल प्रदेश	444	261	243	48
10	झारखंड	2181	1044	845	315
11	कर्नाटक	2194	863	677	225
12	केरल	391	92	38	7
13	मध्य प्रदेश	4274	2105	1675	211
14	महाराष्ट्र	5759	2822	2261	1850
15	मणिपुर	48	14	26	22
16	मेघालय	152	66	77	19
17	मिजोरम	42	22	3	1
18	नागालैंड	28	25	17	15
19	ओडिशा	2200	1166	1167	480
20	पंजाब	4398	1967	716	119
21	राजस्थान	3005	1974	1621	453
22	सिक्किम	56	31	18	2
23	तमिलनाडु	613	264	81	27
24	तेलंगाना	272	44	24	9
25	त्रिपुरा	39	13	7	0
26	उत्तर प्रदेश	13891	9819	8760	4540
27	उत्तराखंड	748	383	185	28
28	पश्चिम बंगाल	3464	2305	2187	1379
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	1	17	1
30	चंडीगढ़	98	54	46	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	45	19	17	2
32	दिल्ली	2426	1284	982	407
33	जम्मू और कश्मीर	823	543	480	253
34	लद्दाख	3	1	4	1
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	24	2	0	0
	कुल	**63502**	**33980**	**25869**	**11448**

******